

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या

12/20/2019

प्रवेश तिथि

07-03-2019

निर्णय दिनांक

14-10-2019

01- जयराम पुत्र स्व० रामचंद्र जाति जाट निवासी ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

-अपीलांत

बनाम

01- तहसीलदार कोटकासिम, जिला अलवर

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार कोटकासिम  
दिनांक 24.12.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू०  
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 33/2018

उपस्थित:-

01-श्री संतोष कुमार बंसल

-वकील अपीलाण्ट



-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कोटकासिम के आदेश दिनांक 24.12.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बघाना की सरकारी गै०मु० बाड़ा भूमि के आराजी खसरा नम्बर 491/0.08 है० में से 0.02 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ० को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बघाना की सरकारी गै०मु० बाड़ा भूमि के आराजी खसरा नम्बर 491/0.08 है० में से 0.02 है० पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 18.09.2018 को अपीलांत को अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व लगान से दण्डित किया। पटवारी हल्का द्वारा अपने नोटिस में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि विवादित आराजी के किस स्थान पर व किस दिशा में निर्माण किया हुआ है। उक्त आराजी के संबंध में पूर्व में उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा दिनांक 06.11.1967 को अपीलांत के पिता के हक में निर्णय पारित करते हुए आदेश फरमाये गये थे कि वादीगण को 6 बिस्वा रकबे में से जिसमें वादीगण को गुवाडा बना हुआ है, बेदखल ना करें तथा मजामहत् ना करें। उक्त आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार कोटकासिम का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 24.12.2018 के विरुद्ध दिनांक 07.03.2019 को पेश किया। जो करीब 2 माह 14 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार कोटकासिम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.12.2018 में यह माना है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन बाड़ा है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के निर्णय दिनांक 06.11.1967 से पूर्व उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज था तथा उन्हें पूर्व में बेदखल करने का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपील अपीलांत स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर तहसीलदार कोटकासिम को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मौका व रिकॉर्ड की जांच कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को अद्योहस्ताक्षरता लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राजस्थान)